न्यायालय उप जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर

पीठासीन अधिकारीः– अनूप सिंह (आर0ए0एस0)

मु0नं0	ता0रजू	निर्णय दिनांक
13/2024	05.03.2024	29/01/2025

1. अर्जुनलाल पुत्र किस्तूरा जाति मीना पेशा काश्त निवासी ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

प्रार्थी

बनाम

1. सहायक भू प्रबंध अधिकारी टोंक।
2. तहसीलदार सवाई माधोपुर ।
3. रामकरण पुत्र गंगजी उर्फ नहनू मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
4. राधेश्याम पुत्र किस्तूरा जाति मीना निवासी सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर

अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट</u>

उपस्थितः–

1. श्री रघुनन्दन सिंह राजावत प्रार्थी की और से।

:– निर्णय –:

प्रार्थी ने जरिये वकील एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 एल0आर0एक्ट0 पेश किया जिसका विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी नंबर 3 व 4 ग्राम सूरवाल तहसील व जिला सवाई माधोपुर के निवासी है। साबिक आराजी खसरा नंबर 1411 रकबा [illegible] 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम सूरवाल स्थित है। मुताबिक [illegible] 1411 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा के हाल [illegible] 0.40 है०, ख0नं0 2044 रकबा 0.32 है०, ख०नं० 2052 रकबा 0.32 है०, ख०नं० 2111 रकबा 0.30 है0 बने हैं। नामान्तकरण संख्या 250 दिनांक 28.04.97 ग्राम सूरवाल के

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 7 में साबिक खसरा नं0 1411 किस्तूरा, मयाराम पि रामकुंवार 1/2, रामकरण पुत्र गंगजी कोम मीना हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज थी । प्रार्थी ने जरिये रजिस्र्टड विकय पत्र संख्या 914 दिनांक 18.08. रामकरण पुत्र गंगजी का हिस्सा 1/2 जैर आराजीयात का कय किया चूंकि सन् 1993 से पूर्व से ही तहसील सवाई माधोपुर में भू प्रबन्ध ाही जैरकार थी इसलिए रजि0 विक्रय पत्र संख्या 914 दिनांक 18.08. 3 का नामान्तकरण संख्या 250 अप्रार्थी संख्या के कर्मचारियों द्वारा भरा ा एवं 28.04.97 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया था। खतौनी रीर करते समय अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण मान्तकरण संख्या 250 निर्णय दिनांक 28.04.97 का अमल हाल खतौनी में ही किया गया एवं विक्रेता रामकरण का नाम खतौनी में अंकित कर दिया या साथ ही रामकरण के पिताजी गंगजी का नाम भी नहनू कर दिया गया स प्रकार हाल खतौनी में रामकरण पुत्र गंगजी के स्थान पर रामकरण पुत्र हनू हिस्सा 1/2 का नाम खतौनी में अंकित कर दिया गया। जो हाल मबन्दी में चला आ रहा हैं। विपक्षी संख्या 1 के कर्मचारियों की लापरवाही वं उपेक्षा के कारण नामान्तकरण संख्या 250 का अमल खतौनी में नही होने कारण प्रार्थीगण का नाम दर्ज नही हो सका और पूर्व विक्रेता रामकरण त्र गंगजी की जगह रामकरण पुत्र नहनू दर्ज कर दिया जो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार गलत अंकन किया गया है सो प्रार्थीगण के नाम खतौनी में दर्ज किया जाना चाहिए था इसलिए विपक्षी संख्या 1 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त किया जाना न्यायोचित है, रामकरण पुत्र नहनू के स्थान पर नामान्तकरण संख्या 250 के मुताविक प्रार्थीगण का नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। खसरा नं0 1411 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा का हिस्सा 1/2 प्रार्थीगण ने जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र खरीद किया जिसका नामान्तकरण संख्या 250 में इन्द्राज है एवं प्रार्थीगण के पक्ष में नामान्तकरण स्वीकार किया था इसलिए प्रार्थीगण विपक्षी संख्या 1 द्वारा की गई त्रुटि को दुरूस्त कराने के कानूनन अधिकारी है इसलिए प्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रामकरण पुत्र नहनू के स्थान पर दर्ज किये जाने के आदेश फरमाये जावें । प्रार्थीगण जब के.सी.सी. हेतू एवं सरकारी अनुदान हेतू पटवारी हल्का से जमाबन्दी की

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:38:37 IST
Reason: SelfAttested

प जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

कल लेने गये तब विपक्षी संख्या 1 द्वारा की गई अशुद्धि की जानकारी हुई। प्रार्थी संख्या 4 को औपचारिक पक्षकार बनाया गया हैं। अतः प्रार्थना पत्र स्तुत कर निवेदन है कि हाल खतौनी में रामकरण पुत्र नेहनू के स्थान पर मकरण पुत्र गंगजी दुरूस्त करते हुये नामान्तकरण संख्या 250 निर्णय नांक 28.04.97 का अमल राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में साविक खसरा नं0 411 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा में से बने हाल खसरा नं0 2043 रकबा 0.40 क्टेयर, ख0नं0 2044 रकबा 0.32 हेक्टेयर, ख0नं0 2052 रकबा 0.32 हेक्टेयर, ख0न0 2111 रकबा 0.30 हेक्टेयर वाके ग्राम सूरवाल में प्रार्थी के नाम दर्ज करने के आदेश अप्रार्थी संख्या 2 को प्रदान करने की कृपा करें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गयी। प्रकरण में प्रकरण से संबंधित तथ्यात्मक रिपोर्ट तहसीलदार सवाई माधोपुर से तलब की गयी। तहसीलदार सवाई माधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में अंकित किया है कि नकल जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 के खाता संख्या 150 खसरा नंबर 1411 रकबा 5 बीद्या 06 बिस्वा पर नामा0 संख्या 250 दिनांक 28.04.1997 से नामा स्वीकृत होने का नोट अंकित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 खाता संख्या 150 में रामकरण पुत्र गंगजी हि 1/2 दर्ज रिकार्ड है जबकि खतौनी बंदोबस्त में रामकरण के पि गंगजी के स्थान पर नेहनू दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी चौसाला में रामकरण पुत्र नेहनू हि0 1/2 जाति मीना दर्ज है। साबिक खसरा नंबर 1411 रकबा 5 बीद्या 6 बिस्वा के नवीन खसरा नंबर 2043/0.40, 2044/0.32, 2052/0.32, 2111/0.30 किता 4 रकबा 1.34 है0 पर खातेदारी दर्ज है। उक्त खसरा नंबर 4 रकबा 1.34 है0 पर राधेश्याम अर्जुन पि0 किस्तुरचंद व किशनलाल पप्पूलाल मुरारीलाल पि0 मियाराम जाति मीना निवासी सूरवाल का कब्जा काश्त है। अतः नियमानुसार नामा संख्या 250 का अमल किया जाकर रामकरण पुत्र नेहनू के हि0 1/2 के स्थान पर अर्जुनलाल राधेश्याम पि0 किस्तूरा हि 1/2 दर्ज किया जाना उचित होगा।

प्रकरण मे वकील प्रार्थी की बहस सूनी [illegible] प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अनुसार बहस करते हुए बताया है कि [illegible] आराजी खसरा नंबर 1411 रकबा 5 बीद्या 6 बिस्वा भूमि वाके ग्राम [illegible]रवाल स्थित है। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नंबर 1411 रकबा 5 बीद्या 6 बिस्वा के हाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

सरा नंबर 2043 रकबा 0.40 है०, ख0न0 2044 रकबा 0.32 है०, ख०न० 052 रकबा 0.32 है०, ख०न० 2111 रकबा 0.30 है0 बने हैं। नामान्तकरण ख्या 250 दिनांक 28.04.97 ग्राम सूरवाल के कॉलम संख्या 7 में साबिक सरा नं0 1411 किस्तूरा, मयाराम पि रामकुंवार हिस्सा 1/2, रामकरण पुत्र गजी कोम मीना हिस्सा 1/2 के नाम दर्ज रिकॉर्ड थी । प्रार्थी ने जरिये जिर्स्टड विकय पत्र संख्या 914 दिनांक 18.08.1993 रामकरण पुत्र गंगजी का हिस्सा 1/2 जैर आराजीयात का कय किया था। चूंकि सन् 1993 से र्व से ही तहसील सवाई माधोपुर में भू प्रबन्ध कार्यवाही जैरकार थी इसलिए जि0 विक्रय पत्र संख्या 914 दिनांक 18.08.1993 का नामान्तकरण संख्या 50 अप्रार्थी संख्या के कर्मचारियों द्वारा भरा गया एवं 28.04.97 को अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा स्वीकृत किया गया था। खतौनी तहरीर करते समय अप्रार्थी संख्या 1 के कर्मचारियों की लापरवाही के कारण नामान्तकरण संख्या 250 निर्णय दिनांक 28.04.97 का अमल हाल खतौनी में नही किया गया एवं विक्रेता रामकरण का नाम खतौनी में अंकित कर दिया गया साथ ही रामकरण के पिताजी गंगजी का नाम भी नहनू कर दिया गया इस प्रकार हाल खतौनी में रामकरण पुत्र गंगजी के स्थान पर रामकरण पुत्र नहनू हिस्सा 1/2 का नाम खतौनी में अंकित कर दिया गया। जो गलत है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने की कृपा करें।

प्रकरण में वकील प्रार्थी की बहस का मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया। तहसीलदार सवाई माधोपुर की रिपोर्ट के अनुसार जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 के खाता संख्या 150 खसरा नंबर 1411 रकबा 5 बीद्या 06 बिस्वा पर नामा0 संख्या 250 दिनांक 28.04.1997 से नामा स्वीकृत होने का नोट अंकित है। मुताबिक जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 खाता संख्या 150 में रामकरण पुत्र गंगजी हि 1/2 दर्ज रिकार्ड है जबकि खतौनी बंदोबस्त में रामकरण के पि गंगजी के स्थान पर नेहनू दर्ज हो गया जो वर्तमान जमाबंदी चौसाला में राम[illegible] नेहनू हि0 1/2 जाति मीना दर्ज है। साबिक खसरा नंबर 1411 [illegible] के नवीन खसरा नंबर 2043/0.40, 2044/0.32, [illegible]/0.32, 2111/0.30 किता 4 रकबा 1.34 है0 पर खातेदारी दर्ज है। उ[illegible] खसरा नंबर 4 रकबा 1.34 है0 पर राधेश्याम अर्जुन पि0 किस्तुरचंद व किशनलाल पप्पूलाल

Signature Not Verified
Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Scanned with OKEN Scanner

रारीलाल पि0 मियाराम जाति मीना निवासी सूरवाल का कब्जा काश्त है। ...तः नियमानुसार नामा संख्या 250 का अमल किया जाकर रामकरण पुत्र ...हनू के हि0 1/2 के स्थान पर अर्जुनलाल राधेश्याम पि0 किस्तूरा हि 1/2 ...र्ज किया जाना उचित होगा। प्रकरण में भू प्रबन्ध की कार्यवाही के दौरान ...लती होना सही प्रतित होता है। अतः प्रार्थी का प्रकरण स्वीकार किये जाने ...ग्य है।

:– कियात्मक आदेश –:

उक्त विवेचन एवं तथ्यो के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 136 एलआरएक्ट स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सवाई माधोपुर को आदेश दिया जाता है कि राजस्व ग्राम सूरवाल के साविक खसरा नं0 1411 रकबा 5 बीघा 6 बिस्वा में से बने हाल खसरा नं0 2043 रकबा 0.40 हेक्टेयर, ख0नं0 2044 रकबा 0.32 हेक्टेयर, ख0नं0 2052 रकबा 0.32 हेक्टेयर, ख0नं0 2111 रकबा 0.30 हेक्टेयर में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा जारी खतौनी बन्दोबस्त सम्बत 2059–79 में खातेदार का नाम रामकरण पुत्र नेहनू के स्थान पर रामकरण पुत्र गंगजी किया जावे तथा नामान्तकरण संख्या 250 निर्णय दिनांक 28.04.97 का अमल दरामद वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में किया जावें। आदेश की पालना हेतु भिजवाया जावें। निर्णय आज दिनांक 29/01/2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दफ्तर दाखिला हों।

(अनूप सिंह)
उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

उप जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Damodar Singh
Date: 2025.09.11 16:58:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner